



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-12/2025/डी-

दिनांक

सार्वजनिक सूचना

बीपीसी (एलपी) की 398 वीं दिनांक 10.06.2025 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) कि अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2025 के जोनल विकास योजना 11बी की 60 मीटर चौड़ी सड़क (अजमेर रोड से सिरसी रोड तक जोन-07,12 लगभग 6.30 किलोमीटर लम्बाई) के अलाईन्मेंट के संबंध में नियमानुसार जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जोनल विकास योजना 11बी पर अंकित नोट के बिन्दु संख्या-5 अनुसार जविप्रा के जोन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाये गये कमिटमेंट्स को जोनल विकास योजना में अंकित कर दिया गया है समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रश्नगत सड़क पर पूर्व कमिटमेंट को ऑनर करते हुए उक्त कमिटमेंट से प्रस्तावित सड़क को वर्तमान में प्रस्तावित जोनल विकास योजना की 60 मीटर सड़क से मिलाते हुए, 6 स्थानों पर जोनल विकास योजना की संशोधित सड़क प्रस्तावित की गई है। प्रश्नगत सड़क के अलाईन्मेंट से कमिटमेंट्स को ऑनर करते हुए कमिटमेंट के अनुसार कायम किये जाने के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में कमिटमेंट के स्थानों पर जविप्रा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। किन्तु कमिटमेंट को जोनल विकास योजना की अलाईन्मेंट में मिलाने के क्रम में उक्त स्थानों पर अतिरिक्त आंशिक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

उक्त सड़क के अलाईन्मेंट के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 25(3) के तहत सार्वजनिक समाचार पत्र में आम सूचना का प्रसारण 30 अवधि हेतु जन साधारण से अपील/सुझाव हेतु आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस संबंध में ग्राम सिरसी से गुजर रही उक्त सड़क के एलाईन्मेंट के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के जोन-12 में दर्ज करावे। निर्धारित समयावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जोनल विकास योजना-11बी में संशोधन कर दिया जायेगा।

उक्त विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाईट jda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

RajKaj Ref No.:
16210130

eSign 1.0



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.07.14 10:30:22 IST
Reason: Approved



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक:—जविप्रा/उपा/जोन-7/2025/डी-

दिनांक

सार्वजनिक सूचना

बीपीसी (एलपी) की 398 वीं दिनांक 10.06.2025 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) कि अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2025 के जोनल विकास योजना 11बी की 60 मीटर चौड़ी सड़क (अजमेर रोड से सिरसी रोड तक जोन-07,12 लगभग 6.30 किलोमीटर लम्बाई) के अलाईन्मेंट के संबंध में नियमानुसार जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जोनल विकास योजना 11बी पर अंकित नोट के बिन्दु संख्या-5 अनुसार जविप्रा के जोन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाये गये कमिटमेंट्स को जोनल विकास योजना में अंकित कर दिया गया है समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रश्नगत सड़क पर पूर्व कमिटमेंट को ऑनर करते हुए उक्त कमिटमेंट से प्रस्तावित सड़क को वर्तमान में प्रस्तावित जोनल विकास योजना की 60 मीटर सड़क से मिलाते हुए, 6 स्थानों पर जोनल विकास योजना की संशोधित सड़क प्रस्तावित की गई है। प्रश्नगत सड़क के अलाईन्मेंट से कमिटमेंट्स को ऑनर करते हुए कमिटमेंट के अनुसार कायम किये जाने के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में कमिटमेंट के स्थानों पर जविप्रा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। किन्तु कमिटमेंट को जोनल विकास योजना की अलाईन्मेंट में मिलाने के क्रम में उक्त स्थानों पर अतिरिक्त आंशिक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

उक्त सड़क के अलाईन्मेंट के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 25(3) के तहत सार्वजनिक समाचार पत्र में आम सूचना का प्रसारण 30 अवधि हेतु जन साधारण से अपील/सुझाव हेतु आमंत्रित किये जा रहे हैं इस संबंध में ग्राम भाकरोटा एवं केशोपुरा से गुजर रही उक्त सड़क के एलाईन्मेंट के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के जोन-7 में दर्ज करावे। निर्धारित समयावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जोनल विकास योजना-11बी में संशोधन कर दिया जायेगा

उक्त विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाइट jda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Signature valid

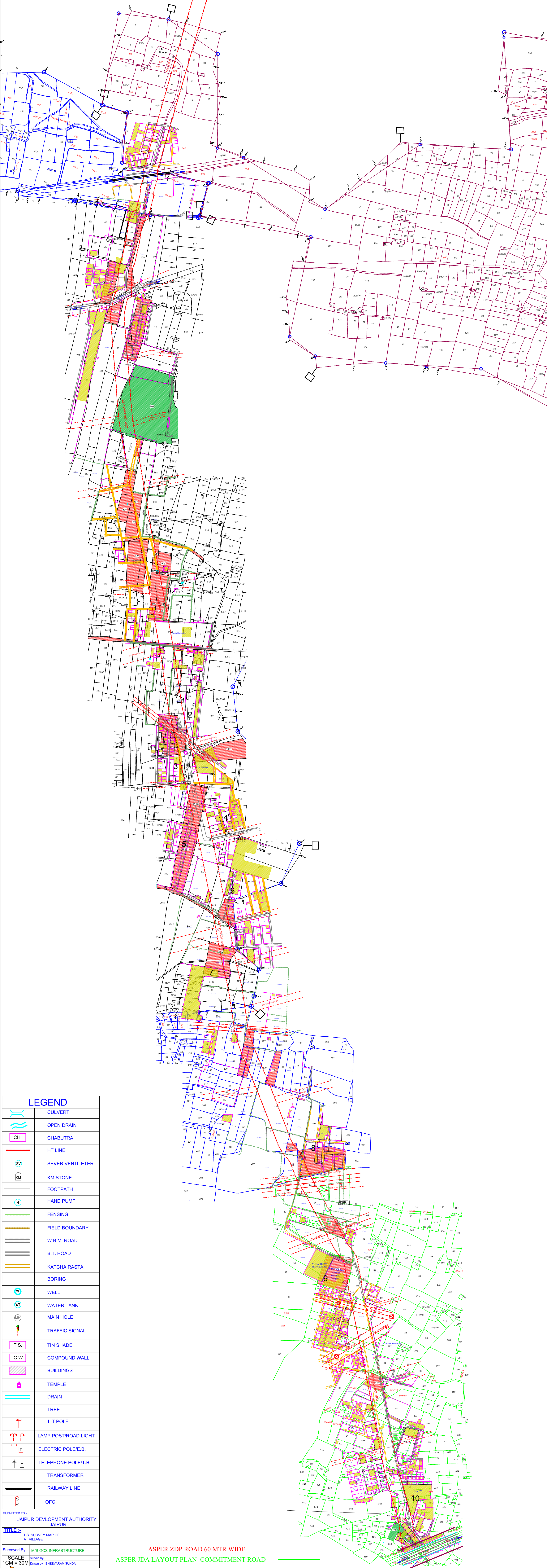
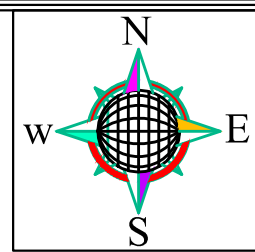
राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स- 0141-2569696 एक्सटेंशन : 8260, फैक्स : 0141-2560165
e-mail: dczone07jaipur@gmail.com

RajKaj Ref No.:
1880992

eSign 1.0

Digitally signed by Hemant Kumar
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.07.18/08:08:26 IST
Reason: Approver

TOPOGRAPHICAL SURVEY MAP OF ZDP/ROAD 60MTR WIDE AJMER ROAD TO KANAKPURA
PHATAK RAILWAY CROSSING



LEGEND	
	CULVERT
	OPEN DRAIN
	CHABUTRA
	HT LINE
	SEVER VENTILETER
	KM STONE
	FOOTPATH
	HAND PUMP
	FENSING
	FIELD BOUNDARY
	W.B.M. ROAD
	B.T. ROAD
	KATCHA RASTA
	BORING
	WELL
	WATER TANK
	MAIN HOLE
	TRAFFIC SIGNAL
	TIN SHADE
	COMPOUND WALL
	BUILDINGS
	TEMPLE
	DRAIN
	TREE
	LT-POLE
	LAMP POST/ROAD LIGHT
	ELECTRIC POLE/E.B.
	TELEPHONE POLE/T.B.
	TRANSFORMER
	RAILWAY LINE
	OFC

SUBMITTED TO:
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

TITLE:
T.S. SURVEY MAP OF
AT VILLAGE

Surveyed By: MS GOS INFRASTRUCTURE
SCALE: 1CM = 30M
Drawn by: SHEKHAN RAJAN

MS GOS INFRASTRUCTURE
Loc. A-61, KRISHNA MALL, UG-7,
LAXMI NAGAR PHATAK, TOWN ROAD,
Ph. 9784018772, 9809607781
Email: goss@msgoc.com

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

ASPER ZDP/ROAD 60 MTR WIDE
ASPER JDA LAYOUT PLAN COMMITMENT ROAD

JDA KHASRA
MANDIR MAFI

